रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 642] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 14, 2016/भाद्र 23, 1938
No. 642] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 14, 2016/BHADRA 23, 1938

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 2016

सा.का.नि. 880(अ).—केंद्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (1) के अधीन यथा अपेक्षित केन्द्रीय मोटर नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए प्रारूप नियम भारत सरकार में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 472 (अ), तारीख 2 मई, 2016 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में उनके द्वारा संभाव्य प्रभावित सभी व्यक्तियों द्वारा उस तारीख से जब प्रारूप नियमों से अंतर्विष्ट उक्त अधिसूचना की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करवाई गई थीं, से तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने के लिए प्रकाशित किए गए थे ;

उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनसाधारण को 2 मई, 2016 को उपलब्ध करवाई गई थीं;

उक्त प्रारुप नियमों के संबंध में जनसाधारण से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया गया है ;

अत:, केन्द्रीय सरकार मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 की उपधारा (1) के खंड (ड.) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय मोटरयान (10वां संशोधन) नियम 2016 है ।

(2) ये राजपत्र में इनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है), में, नियम 124क में, उपनियम (2) में, -

(i) पहले परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु यह और कि 1 अप्रैल, 2017 को और उसके पश्चात् विनिर्मित कृषि ट्रैक्टरों की लाइटिंग और लाइट सिगनलिंग डिवाइसिस निष्पादन अपेक्षाओं समय-समय पर यथासंशोधित एआईएस:062 (रेव 1):2014 के अनुसार होगी । जब तक तत्स्थानी बीआईएस मानक अधिसूचित नहीं किए जाते हैं:";

(ii) विद्यमान दूसरे परंतुक में "पंरतु यह और कि " शब्दों के स्थान पर "परंतु यह और भी कि" 1 अक्तूबर, 2016 से प्रभावी शब्द रखे जाएंगे ।

3. मूल नियमों में, नियम 126 में पहले परंतुक में अंत में आने वाले शब्द "समय-समय पर यथासंशोधित" के पश्चात् निम्नलिखित शब्द, अक्षर, अंक और कोष्ठक अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

"और तकनीकी विनिर्देशों पर सूचना यान विनिर्माता द्वारा एआईएस 007(रेव 5):2014 के अनुसार प्रस्तुत की जाएगी ।" ।

[फा. सं. आरटी- 11028/05/2015 –एमवीएल]

अभय दामले, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 590(अ), तारीख 2 जून, 1989 को प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना सं. 868(अ), तारीख 08 सितम्बर, 2016 को संशोधित किए गए ।

IndiaCode

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th September, 2016

G.S.R. 880(E).—Whereas the draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, were published, as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), vide notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number G.S.R. 472 (E), dated the 2nd May, 2016 in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) inviting objections and suggestions from affected persons before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to public;

Whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 2nd May, 2016;

And whereas, the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (e) of sub-section (1) of section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely: —

1. (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (10th Amendment) Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989 (hereinafter referred to as the principal rules), in rule 124A, in sub-rule (2),-

(i) after the first proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided further that the performance requirements of the lighting and light-signaling devices of agricultural tractors manufactured on and after the 1st day of April, 2017 shall be in accordance with AIS:062 (Rev.1): 2014, as amended from time to time, till such time corresponding BIS standards are notified:";

(ii) in the existing second proviso for the words, "Provided further", the words "Provided also" shall be substituted with effect from the 1st day of October, 2016.

3. In the principal rules, in rule 126, in the first proviso, after the words "as amended from time to time" occurring at the end the following words, letters, figures and brackets shall be inserted, namely:-

"and information on technical specifications shall be submitted by the vehicle manufacturer in accordance with AIS-007(Rev.5):2014.".

[F. No. RT-11028/05/2015-MVL]

ABHAY DAMLE, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), vide notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and lastly amended vide notification number G.S.R 868 (E) dated 8th September, 2016.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

HARINDRA KUMAR
Digitally signed by HARINDRA KUMAR
Date: 2016.09.16 12:00:45 +05'30'